www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(सूचना अनुभाग)

5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 30.05.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में उद्योग विभाग (हिमाचल प्रदेश) के संयुक्त निदेशक एवं प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से कथित पॉंच लाख रू. (लगभग) की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान उद्योग मंत्रालय, बड्डी (हिमाचल प्रदेश) के संयुक्त निदेशक एवं एक प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया

एक शिकायत के आधार पर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि शिकायतकर्ता, चार्टर्ड अकाउंटेट एवं बड्डी (हिमाचल प्रदेश) स्थित प्राइवेट फर्मा फर्म के सलाहकार, ने भारत सरकार की नीति के अनुसार उक्त कारखाने में लगी हुई नई मशीनों को खरीद पर 15% की पूंजी निवेश सब्सिडी के दावों हेतु उद्योग मंत्रालय, एस.डब्ल्यू.सी.ए., बड्डी (हिमाचल प्रदेश) के संयुक्त निदेशक के कार्यालय में उक्त फर्म की फाइल को जमा किया। शिकायत में ऐसा आरोप था कि संयुक्त निदेशक एवं उनके प्राइवेट सहयोगी, उक्त प्राइवेट फर्म के 50 लाख रू. के दावे को मंजूर करने के लिए 10 लाख रू. की घूस की मॉंग कर रहे थे। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उक्त आरोपी पहली किश्त के तौर पर 05 लाख रू. स्वीकार करने को राजी हए।

सीबीआई ने चण्डीगढ़ में जाल बिछाया जिसमें आरोपियों को पॉंच लाख रू. की कथित घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान पकड़ा गया। सेक्टर 19-सी, चण्डीगढ़ स्थित आरोपी के आवास पर तलाशी की गई जिसमें 38,960 रू. (लगभग) ; कुछ यू.एस. डालर एवं यूरों ; 170 ग्राम सोना ; 350 ग्राम चॉंदी; एल.आई.सी. पॉलसियों से सम्बन्धित दस्तावेज तथा बैंक लॉकर की कुन्जियॉं बरामद हुई। आरोपी के कार्यालय परिसर की तलाशी जारी है।

गिरफ्तार दोनो आरोपियों को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, चण्डीगढ़ में आज पेश किया जायेगा।

****